हरियाणा सरकार

राजस्व विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 फरवरी, 1996

संख्या सा०का०नि० 13/संवि०/अनु० 309/96.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा हरियाणा राजस्व विभाग मंडलीय अधीनस्थ (ग्रुप—ग) सेवा नियम, 1988 में, आगे संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम हरियाणा राजस्व विभाग, मंडलीय अधीनस्थ (ग्रुप "ग") संशोधन नियम, 1996, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा राजस्व विभाग मण्डलीय अधीनस्थ (ग्रुप—ग) सेवा नियम, 1988 (जिन्हें इसमें इसके बाद उक्त नियम कहा गया है), में नियम 9 में, खण्ड (ङ) के बाद निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(च). चालकों की दशा में,—

(i) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; और

(ii) 20 प्रतिशत मंडलीय उप—कार्यालयों के ग्रुप ग तथा घ कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा ;

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।"।

3. उक्त नियमों में, परिशिष्ट "क" में क्रम संख्या 5 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद अन्त में निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात् :—

"6	चालक	4	—	4	1200—30—1560—द०रो०—40—2,040 रुपए जमा 200—रुपये विशेष वेतन।

4. उक्त नियमों में परिशिष्ट "ख" में, खाना 1, 2, 3 तथा 4 के नीचे खण्ड (ङ) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद अन्त में निम्नलिखित खण्ड तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात् :—

"(च)	चालक	(i) हिन्दी सहित आठवीं ; (ii) चालक के रूप में तीन वर्ष के अनुभव सहित सभी प्रकार के मार्गों पर हल्के परिवहन वाहन को चलाने की विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति उच्च योग्यता प्राप्त मोटर, मैकेनिजम का ज्ञान अथवा कार मुरम्मत का उचित अनुभव रखने वालों को अधिमान दिया जाएगा ।	(i) हिन्दी सहित आठवीं ; (ii) मण्डलीय कार्यालय में ग्रुप–ग या ग्रुप–घ कर्मचारी के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव (ii) सरकारी/अर्ध सरकारी/बोर्ड/निगम आदि में हल्के मोटर वाहन को चलाने के दो वर्ष के अनुभव सहित सभी प्रकार के मार्गों पर हल्के वाहन को चलाने की विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति । उच्च योग्यता प्राप्त/मोटर मैकेनिज़म का ज्ञान रखने वाले और छोटी मुरम्मत का काम कर सकने वालों को अधिमान दिया जाएगा ।" ।

5. उक्त नियमों में परिशिष्ट ग में, खाना 1, 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 के नीचे क्रम संख्या 5 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, अन्त में निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात् :—

"6" चालक ।" ।

6. उक्त नियमों में, परिशिष्ट घ में, क्रम संख्या 5 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, अन्त में निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात् :—

"6. चालक ।" ।

जे० डी० गुप्ता,

सचिव, राजस्व विभाग,
हरियाणा सरकार ।

हरियाणा सरकार

राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 26 मई, 2015

संख्या सा०का०नि० 7/सवि०/अनु० 309/2015.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राजस्व विभाग मण्डलीय अधीनस्थ (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1988 को आगे संशोधित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. ये नियम हरियाणा राजस्व विभाग मण्डलीय अधीनस्थ (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2015 कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा राजस्व विभाग मण्डलीय अधीनस्थ (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1988 में, परिशिष्ट ख में, खाना 1,2,3 तथा 4 के नीचे, क्रम संख्या (च) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :–

1	2	3	4
" (च)	चालक	(i) मैट्रिक ; (ii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी वैध हल्का परिवहन वाहन चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए ; (iii) हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित चालन परीक्षा पास होनी चाहिए ; (iv) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए ; (v) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत;	पदोन्नति द्वारा:– (i) मैट्रिक ; (ii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी वैध हल्का परिवहन वाहन चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए; (iii) मण्डलीय उप–कार्यालय के श्रेणी III/IV पदों पर तीन वर्ष का अनुभव; (iv) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत; (v) विभाग द्वारा आयोजित चालन परीक्षा पास होनी चाहिए ; (vi) वर्णान्ध नहीं होना चाहि; (vii) पचास वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिए ; स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा:– (i) मैट्रिक; (ii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी वैध हल्का परिवहन वाहन चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए ; (iii) हल्का परिवहन वाहन चालक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव; (iv) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत; (v) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए ; (vi) यदि चालक के पद पर पहले से कार्यरत नहीं है, तो पचास वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिए"।

डॉ० दलीप सिंह,
अपर मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त, हरियाणा सरकार,
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग।